



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122022-240753
CG-DL-E-02122022-240753

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5410]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2022/अग्रहायण 11, 1944

No. 5410]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2022/AGRAHAYANA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2022

का.आ. 5642(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 1633(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 2022, द्वारा, बारह महीने की अवधि के लिए, मैसर्स अग्रवाल कैरियर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, दो "स्टेटर" का, 20 धुरी पंक्तियों का सीधी रेखा में युग्मन द्वारा, अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार के साथ, जीई रिन्यूएबल (पावर) साणंद, गुजरात से सीपीआरआई बेंगलोर, कर्नाटक, तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, अनुमोदन प्रदान किया था।

2. उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 में, बिंदु (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(i) उपरोक्त कन्साइनमेंट का परिवहन, विशिष्ट मार्ग जीई रिन्यूएबल (पावर) साणंद, गुजरात से सीपीआरआई बेंगलोर, कर्नाटक तक इस सड़क मार्ग के जरिए होगा-

जीई पावर सानंद - अहमदाबाद रिंग रोड - असलाली - खेडा - वसाड - बड़ौदा - अंकलेश्वर - देडियापाड़ा - सागवारा- सहदा - शिरपुर - धुले - मालेगांव - मनमंद - येओला- वैजापुर- गंगापुर- औरंगाबाद- बीड- यरमाला- सोलापुर- मोहल - झलकी - बीजापुर - होस्पते- चित्रदुर्ग - तुमकुर - नीलमंगला - सीपीआरआई बेंगलोर साइट।”

[फा. सं. आरटी-11042/08/2020-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 25th November, 2022

S.O. 5642(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government vide Gazette notification No. S.O. 1633(E), dated 5th April, 2022, had accorded approval to M/s Agarwal Carriers Corporation of India for transportation of two “Stator” from GE Renewable (Power) Sanand, Gujarat to CPRI Bangalore, Karnataka by road for the period of twelve months, by coupling of 20 axle rows in straight line, with maximum safe laden weight/Gross vehicles Weight and dimensions.

2. In the said notification, in para 5, for point (i), the following shall be substituted:-

“(i)The specific route for transportation of the consignment will be from GE Renewable (Power) Sanand, Gujarat to CPRI Bangalore, Karnataka by road through-

GE Power Sanand - Ahmedabad Ring Road – Aslali – Kheda – Vasad – Baroda – Ankhleshwar – Dediypada – Sagbara- Sahada – Shirpur – Dhule – Malegaon – Manmand – Yeola- Vaijapur- Gangapur- Aurangabad- Beed- Yermala- Solapur– Mohal – Zhalki – Bijapur – Hospate- Chitradurga – Tumkur – Neelmangla – CPRI Bangalore Site.”

[F. No. RT-11042/08/2020-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.